अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में शोक की लहर

सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और राज्यपाल देवव्रत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे

मुंबई, 28 जनवरी। बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के राजनीतिक हलको में शोक की लहर दौड़ गई. उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर जैसे ही मिली, अस्पताल में फडणवीस, शिंदे और राज्यपाल देवव्रत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा हर आँखों को नम कर देने वाला था।

अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देवलाली प्रवरा में हुआ। कम उम्र में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाते हुए उन्होंने किसानों की समस्याएँ नजदीक से समझीं और सहकारी संस्थाओं से सार्वजनिक जीवन शुरू किया। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और 16 वर्ष रहे। बारामती से कई बार विधायक चुने गए तथा कृषि, बिजली, बागवानी और जल संसाधन जैसे विभाग संभाले। वे विभिन्न अवधियों में उपमुख्यमंत्री रहे, 23 नवंबर 2019 की एक-दिवसीय सरकार भी इसका हिस्सा रही। 'दादा' के रूप में पहचाने जाने वाले पवार जनता दरबार, स्पष्टवादिता और समय की पाबंदी के लिए जाने गए, जिसने उनकी प्रशासनिक शैली को परिभाषित किया जायेगा ।

'दादा' के जनसंपर्क और संगठनात्मक सफर: अजित पवार सार्वजनिक जीवन में अपने जमीनी जुड़ाव और सुलभ कार्यशैली के कारण लोगों के बीच 'दादा' के नाम से जाने गए। उन्होंने 1982 में एक सहकारी संस्था से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। भू-राजनीतिक समझ और संगठनात्मक क्षमता के बल पर वे बारामती से कई बार विधायक चुने गए तथा 1992-93 में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। यह अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक भूमिका को आकार देता रहा। अजित पवार ने कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे विभाग संभाले। वे 2010-2014, 2019-2022 और जुलाई 2023 से उपमुख्यमंत्री रहे.

23 नवंबर 2019 को एक दिन की सरकार भी बनी। क्योंकि — उनके कई कार्यकाल और विवादों के कारण। सिंचाई और लवासा प्रकरण में बाद में क्लीन चिट मिली। आगे, उनकी भूमिका राज्य राजनीति में निर्णायक रही है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले व्यक्ति थे।

अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल थे। उन्होंने गैर-लगातार कार्यकाल में 6 बार यह पद संभाला और पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकारों में उपमुख्यमंत्री रहे।

बिरला ने अजित पवार के निधन पर दु:ख जताया- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि सहकारिता से जनकल्याण और राज्य के विकास के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में हुए असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महाराष्ट्र में विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए दिवंगतों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जतायी हैं। मुर्मु ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है।

विमान हादसों में जान गंवाने वाले देश के बड़े नेता

- संजय गांधी 23 जून 1980 को विमान हादसे में मरे
- माधवराव सिंधिया का 2001 में विमान दुर्घटना में निधन
- देश के पहले चीफ़ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ़ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर, 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई.
- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री और उद्योगपति ओ.पी. जिंदल 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह भी शामिल थे।
- आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी का दो सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था।
- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोर्जी खांडू 30 अप्रैल 2011 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गये थे।

उत्तराखंड में गठित होंगी 643 नई पैक्स समितियां

देहरादून, 28 जनवरी। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को अपने आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश में 643 नई बहुउद्देश्यीय पैक्स समितियों का गठन, सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों, एनसीईआरटी की गतिविधियों में राज्य की भागीदारी, तथा फरवरी माह में गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

डॉ. रावत ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन के सभी कार्य बिंदुओं पर समयबद्ध ढंग से तैयारियाँ पूर्ण की जाएँ। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सचिव, सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत 643 नई पैक्स के गठन का प्रस्ताव है। जिसके सापेक्ष 621 पैक्स का गठन पूर्ण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि निबंधक कार्यालय के निर्माण के संबंध में शीघ्र ही चिह्नित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-एक, वर्ग-दो एवं वर्ग-तीन के कुल 177 रिक्त पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

माँग सूचना

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे उल्लिखित ट्रस्टों के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए) (जिसे आगे "ARCIL" कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "SARFAESI अधिनियम" कहा गया है) के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, और जबकि नीचे उल्लिखित चार्ट के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं ने मूल ऋणदाता IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया है, और जबकि-ARCIL ने नीचे उल्लिखित ऋण खातों से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है, और जबकि ARCIL, SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ, मांग नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि ब्याज सहित चुकानी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से कुछ उधारकर्ताओं को नोटिस नहीं भेजा जा सका। ट्रस्ट का नामः आर्सिल ट्रस्ट -2026 - 015

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री राज परमार श्रीमती खुशबू परमार (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10514445)	05 जनवरी 2026, रू. 927086.98/- (नौ लाख सत्ताईस हजार छियासी और अन्ठानवे पैसे मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार हैः पूर्वी भाग प्लॉट संख्या 23 (जिसे 23/2 के नाम से जाना जाता है), नया सीरियल नंबर 160/1/2/5 (पुराना 160/1), ग्राम पनवासा, मैक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत 456010 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्रः संपत्ति का क्षेत्रफलः 400.00, 500.00
श्री महेश लोवंशी श्री कचोरीलाल श्रीमती शकुन बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10376926)	05-जनवरी-2026, रू.642469.48/- (छह लाख बयालीस हजार चार सौ उनत्तर और अड़तालीस पैसे मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जो इस प्रकार हैः फ्लैट नंबर F24, एहर, शंखेश्वर सिटी, ग्राम जख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत 452001। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकारः निर्मित क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफलः 263
श्री मयंक श्री हेमराज मोहने श्रीमती लक्ष्मी बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10422929)	05-जनवरी-2026, रू. 1373369.91/- (तेरह लाख तेहत्तर हजार तीन सौ उनत्तर और इक्यानवे पैसे मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार हैः प्लॉट संख्या 213 (दक्षिण भाग) जिसका क्षेत्रफल 46.51 वर्ग मीटर है, पद्मावती एवेन्यू, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456006। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफलः 500.00, 580.00
श्री रिंकू गौड़ श्री जगदीश गोंटे श्रीमती प्रतिभा गोदिया श्याम ऑटो गैराज (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10450392)	06 जनवरी 2026, रू. 1554667.93/- (पंद्रह लाख चौवन हजार छह सौ सड़सठ और तिरानवे पैसे मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार हैः प्लॉट संख्या 196, सेक्टर-ए, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखालिया, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफलः 600 वर्ग फुट
श्री विनय पांचाल श्रीमती नेहा पांचाल हनी वस्त्र (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10486655)	06 जनवरी 2026, रू. 950478.22/- (नौ लाख पचास हजार चार सौ अठहत्तर और बाईस पैसे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो इस प्रकार हैः प्लॉट संख्या 222, हाईवे ब्लिस सिटी, गांव सोलसिंडा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, इंदौर 452002। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्रफल, कालीनक्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 449.00, 449.00
श्री नमन कनाडिया श्री राजेश श्रीमती अनिता बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10505322)	2 जनवरी 2026, रू. 840888.53/- (आठ लाख चालीस हजार आठ सौ अठासी और तिरेपन पैसे मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जो इस प्रकार हैः फ्लैट संख्या 705 , सातवीं मंजिल, ब्लॉक - अ12, पालस 1 परिसर, इंदौर 452001 क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफलः 377.00

अतः, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करें। यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि और ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ARCIL धारा 13(4) के तहत ऊपर वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए बाध्य होगा। अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से भी सूचना तामील करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि की सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय ARCIL द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और देय पूरी राशि के भुगतान पर छुड़ाया जा सकता है, जैसा कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत है। कृपया ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको एतद्द्वारा बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रकार से सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण और/या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थानः इन्दौर,
दिनांकः 29-01-2026,

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884
वेबसाइटः www.arcil.co.in पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028। दूरभाषः +91 2266581300।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	107372125 & 164278187	संपत्ति के बदले ऋण	20.12.2025	8,37,806.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. चतर सिंह 2. सुगन बाई

संपत्ति का पताः वह संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर है, सर्वेक्षण संख्या 174/7, पीएच नं. 10, ग्रामः मालपुरा, तहसीलः सोनकच्छ, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः अनारसिंह जी का बाड़ा, पश्चिमः कच्चा रास्ता, उत्तरः कृपालसिंह जी की भूमि, दक्षिणः गजराज सिंह जी की भूमि।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	48766253	संपत्ति के बदले ऋण	30.12.2025	2,73,884.94/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. जसपाल सिंह 2. जीवन सिंह प्रह्लाद सिंह

संपत्ति का पताः 3124 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह पूरा हिस्सा (मकान संख्या 53), जो फोन नंबर 10, सर्वे नंबर 185, गांव मालपुरा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः चंद्र सिंह का मकान, उत्तरः हरि सिंह का मकान, दक्षिणः धन सिंह का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	115827455	होम लोन	30.12.2025	2,05,072.22/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. मोहन राठौर 2. दीपिका बाई

संपत्ति का पताः आबादी मकान संख्या 58, वार्ड संख्या 03, पटवारी हल्का संख्या 13, ग्राम गनोरा, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455332 स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका क्षेत्रफल 1632.88 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः संतोष राठौर का घर, दक्षिणः रामनिवास राठौर का घर, पूर्वः द्वारकादास बर्गी का घर, पश्चिमः सरकारी रास्ता।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	69031032	संपत्ति के बदले ऋण	10.01.2026	3,68,397.62/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. राजेश सियोता 2. आरती सियोता

संपत्ति का पताः वह संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 23 X 73 = 1679 वर्ग फुट है, आबादी भूमि/प्लॉट सर्वे संख्या 852 का हिस्सा, जो गांवः तिवाडिया, फोन नंबरः 25, तहसीलः खातेगांव, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455336 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पट्टे के अनुसार सीमाएँ: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः जगदीश कुमार, उत्तरः नारायण जाट, दक्षिणः रास्ता

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	88011460	संपत्ति के बदले ऋण	03.01.2026	4,56,281.28/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. संजय सेंधव 2. सरिता बाई

संपत्ति का पताः कुल 936 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला वह भूखंड (मकान संख्या 73), जो पीएच नं. 03, सर्वे नंबर 688, गांव सुरजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है। पूर्व में स्वयं का पुराना मकान, पश्चिम में स्थानीय सड़क, उत्तर में अशोक वर्मा का मकान, दक्षिण में अमर सिंह सेंधव का मकान।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 29.01.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीबी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है) से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकर्ताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
श्री भगवान सिंह वागेला पुत्र मुन्नालाल वागेला, निवासी-1, शारदा नगर, रतलाम रोड, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454001, पी. नंबर 114, वार्ड नंबर 02, रामकृष्ण नगर कॉलोनी, ग्राम नौगांव बुजुर्ग, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454001, उधारकर्ता/बंधककर्ता के रूप में, श्रीमती ज्योति वागेला पत्नी श्री भगवान सिंह वागेला के साथ, निवासी-9, शारदा नगर, रतलाम रोड, जिला धार, मध्य प्रदेश-454001, नीरज राठौड़ पुत्र सुरेश राठौड़, निवासी-168, बख्तावर मार्ग, हटवाड़ा, जिला धार, मध्य प्रदेश-454001, और लोकेंद्र वागेला पुत्र श्री जगनदेव, 961, बंदीछोड़ मार्ग, साईं मंदिर के पीछे, नौगांव, धार, मध्य प्रदेश-454001, एनपीए दिनांक : 19.01.2026	750 वर्ग फुट (69.67 वर्ग मीटर) के आवासीय संपत्ति पर स्टॉक और बही-खाते के ऋणों का बंधक और न्यायसंगत बंधक का सृजन, संपत्ति संख्या 114 (उत्तरी भाग), वार्ड संख्या 02, रामकृष्ण नगर, नौगांव बुजुर्ग, जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित, राजस्व अभिलेखों में ई-पंजीकरण संख्या MP11920015A1111806 दिनांक 09-10-2015 के तहत विधिवत पंजीकृत, श्री भगवान सिंह वागेला पुत्र मुन्नालाल वागेला के नाम पर, और पूर्व में कॉलोनी रोड; पश्चिम में प्लॉट संख्या 97; उत्तर में प्लॉट संख्या 113; दक्षिण में विक्रेता की भूमि से घिरा हुआ है।
ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि	ऋण खाता संख्याः 100641010769, 100641015818, 100641510021, 100641510149, 100641510172, 100646510550 मांग सूचना दिनांकः 28-01-2026 बकाया राशिः 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार मात्र) 27-01-2026 तक
श्री नवीन कुमार मुंशी पुत्र राजेंद्र प्रसाद मुंशी, निवासी 02, पटेल मार्ग, रासमंडल, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454001, उधारकर्ता/बंधककर्ता के रूप में, साथ में श्रीमती अमिता मुंशी पत्नी श्री नवीन कुमार मुंशी, निवासी 02, पटेल मार्ग, रासमंडल, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454001, श्री अब्बास अली पुत्र खान अली, निवासी 10, धारेश्वर मार्ग, जिला धार, मध्य प्रदेश-454001, और श्री देवेन्द्र पटेल पुत्र श्री ओंकार लाला पटेल, निवासी ग्राम चिकिलिया, जिला धार, मध्य प्रदेश-454001, एनपीए दिनांक : 19.01.2026	मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहल्ला पटेल मार्ग (मेवती फलिया) में स्थित 1000 वर्ग फुट (92.90 वर्ग मीटर) के आवासीय संपत्ति, जिसका एमपीएल क्रमांक 12, मकान क्रमांक 12, वार्ड क्रमांक 16, गली क्रमांक 2 है, पर समतुल्य बंधक का सृजन, जो राजस्व अभिलेखों में ई-पंजीकरण क्रमांक MP119002015A1049453 दिनांक 24-08-2015 के तहत विधिवत पंजीकृत है, श्री नवीन कुमार मुंशी पुत्र राजेंद्र प्रसाद मुंशी के नाम पर है, और जिसकी सीमाएँ पूर्व में सार्वजनिक सड़क गली क्रमांक 3; पश्चिम में उषाबाई (उसी मकान का भाग); उत्तर में कृष्णकांत जोशी का मकान; दक्षिण में विजय कुमार मुंशी का मकान हैं।
ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि	ऋण खाता संख्याः 100641008745, 100641021126, 100641510151, 100641510161 मांग सूचना दिनांकः 28-01-2026 बकाया राशिः 16,70,000/- (सोलह लाख सत्तर हजार मात्र) 27-01-2026 तक

दिनांकः 28.01.2026, स्थानः नोएडा **अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायर्नेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP22-23011599 श्री रवि नामदेव (ऋणी) श्रीमती रानी नामदेव पत्नी श्री रवि नामदेव (सहऋणी), श्री अनिल नामदेव (सहऋणी), श्री राजेश (गारंटर)	18.04.2025 Rs. 5,63,906.56 पांच लाख तिरेसठ हजार नौ सौ छः रूपये एवं छप्पन पैसे मात्र 11.04.2025 तक भौतिक कब्जा 22.01.2026	श्रीमती रानी नामदेव पत्नी श्री रवि नामदेव की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित फ्लैट नं. 204, द्वितीय तल, हरिओम अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 02, पीएच नं. 07 नया नं. 11, सर्वे नं. 35/3/2, श्री कमल रेजीडेन्सी, ग्राम नैनोद, तहसील एंव जिला इन्दौर 453112, क्षेत्रफल 351 वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया	Rs. 5,89,680/- पांच लाख नवासी हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र	Rs. 58,968/- अट्ठावन हजार नौ सौ अडसठ रुपये मात्र	Rs. 6,64,744.68 दिनांक 24.01.2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 02.03.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 28.02.2026, सांय 5:00 बजे तक,
निरीक्षण की दिनांक एवं समय 26.02.2026 (कार्यालय समय मे)

निविदा की शर्तें :-

(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोटः-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांकः 28-01-2026 स्थानः इन्दौर, मप्र प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

शाखा : मल्हारगंज, इन्दौर (36260)
पता : मल्हारगंज, इन्दौर (36260) (36260) इन्दौर, मध्य प्रदेश-452007
मेल आईडी : **UBIN0536261@unionbankofindia.bank**

परिशिष्ट IV(अचल संपत्ति हेतु) आधिपत्य सूचना (नियम 8(1) (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मल्हारगंज, इन्दौर (36260)** के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम- 2002 (2002 का नं. 54) की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **1. ऋणी 1) श्री बाबुलाल शिन्दे पिता श्री शोभाराम शिन्दे, पता :** मकान नं.130 प्रथम एवं द्वितिय मंजिल, सी जे आर एम, प. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया इन्दौर म.प्र. 452007 **2) श्री कमल शिन्दे पिता श्री शोभाराम शिन्दे, पता :** मकान नं.130 प्रथम एवं द्वितिय मंजिल, सी जे आर एम, प. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया इन्दौर म.प्र. 452007 **3) श्री दिलीप शिन्दे पिता श्री शोभाराम शिन्दे, पता :** मकान नं.130 प्रथम एवं द्वितिय मंजिल, सी जे आर एम, प. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया इन्दौर म.प्र. 452007 **जमानतदार श्रीमती देवी चंदानी पति श्री देवी राम चंदानी पता :** जी-2 विपिन आर्च, 55, एलआईजी, इन्दौर-452011 **दिनांक 01/11/2025** को मांग सूचना जारी कर सूचना प्राप्ति की तिथि से **60 दिन** के अन्दर उक्त सूचना में दी गई ऋण राशि **रु. 7,01,039.09 (रु. सात लाख एक हजार उन्चालिस एवं नो पैसे मात्र)** का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था।

चूंकि ऋणी ने संपूर्ण अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी को विशेषत: एवं आम जनता को साधारणत: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत **दिनांक 22.01.2026** को प्राप्त कर लिया है।

ऋणीयों तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करे तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया हो तो वह बकाया राशि **रु. 6,70,037.09 (रु. छ: लाख सत्तर हजार सैतीस एवं नो पैसे मात्र) दिनांक 22.01.2026** एवं उस पर ब्याज व खर्चे के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,** के अधीन होगा।

ऋणीयों/जमानतदारों/बंधकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नं.130, प्रथम एवं द्वितिया मंजिल, सी.जे.आर.एम., प.दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया, इन्दौर 452007, क्षेत्रफल 780 वर्गफीट,

बंधक आवासीय परिसर

संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश मकान नं.130, प्रथम एवं द्वितिया मंजिल, सी.जे.आर.एम., प.दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया, इन्दौर 452007, क्षेत्रफल 780 वर्गफीट, एवं जिला इन्दौर **चर्तु:सीमा** उत्तर : 222 एमआईजी मकान, दक्षिण : रोड, पूर्व : रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. 129 सीजेआरएम

दिनांक : 22.01.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इंदौर **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

केनरा बैंक मांगलिया सड़क शाखा के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि **60** दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण
	मांगलिया सड़क शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 89899 93290		
1.	**1. श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे,** 45, मंगल विहार कॉलोनी, ए.बी. रोड, मांगलिया, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **2. श्रीमती श्रद्धा कुनाल वागडे पति श्री कुनाल राव वागडे,** 45, मंगल विहार कॉलोनी, ए.बी. रोड, मांगलिया, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **3. श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे,** पैकी भाग क्रमांक 37, मंगल विहार कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 26/1 (पुराना) 71 (नया), राजस्व निरिक्षक मंडल 3, छिप्रा सर्वे नं. 295/2, मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **4. श्रीमती श्रद्धा कुनाल वागडे पति श्री कुनाल राव वागडे,** पैकी भाग क्रमांक 37, मंगल विहार कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 26/1 (पुराना) 71 (नया), राजस्व निरिक्षक मंडल 3, छिप्रा सर्वे नं. 295/2, मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771	**मांग सूचना दिनांक 22.01.2026 बकाया राशि (₹) 23,40,555.45 + दिनांक 09.01.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्च**	पैकी भाग क्रमांक 37, मंगल विहार कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 26/1 (पुराना) 71 (नया), राजस्व निरिक्षक मंडल 3, छिप्रा सर्वे नं. 295/2, मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **क्षेत्रफल: 800 वर्गफीट, मालिक: 1. श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे, 2. श्रीमती श्रद्धा कुनाल वागडे पति श्री कुनाल राव वागडे, सीमाएं: उत्तर:** प्लाट नं. 36, **दक्षिण:** प्लाट नं. 38, **पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** प्लाट नं. 21

(1) उक्त मांग सूचना पत्र आपको डाक प्राधिकरण द्वारा **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर सकते है ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये। **(2)** आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित उपरोक्त मांग सूचना की दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 29.01.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, इन्दौर**

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायर्नेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20062HP23-24019076, श्री देवी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल (ऋणी एवं बंधककर्ता) श्रीमती पूजा शर्मा (सहऋणी एवं बंधककर्ता)	11.01.2025 Rs. 19,30,306.05 उन्नीस लाख तीस हजार तीन सो छः रूपये एवं पांच पैसे मात्र 10.01.2025 तक भौतिक कब्जा 27.11.2025	श्री देवी प्रसाद शर्मा की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 38 का पूर्वी भाग, सर्वे नं. 713/2, 4,5,6,7 एवं 8 कायम ओसवाल नगर, तहसील एवं जिला रतलाम, मप्र 457001, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट	Rs. 19,22,400/- उन्नीस लाख बाईस हजार चार सौ रुपये मात्र	Rs. 1,92,240/- एक लाख बानवे हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र	Rs. 21,88,472.91 दिनांक 27.11.2025 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 13.02.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 11.02.2026, सांय 5:00 बजे तक,
निरीक्षण की दिनांक एवं समय 07.02.2026 (कार्यालय समय मे)

निविदा की शर्तें :-

(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोटः-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 15 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांकः 28-01-2026 स्थानः रतलाम, मप्र प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड